तारीख हुक्म		हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/11	6/18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान में अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत पांयला खुर्द में पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस तलबी 03.02.2018 को जारी करवाई गई थी। विप्रार्थीगण बावजूद सूचना एवं सूनवाई के पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी हाजिर नहीं हुए। अतः विप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी विवादित भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार हैं। और अपनी खातेदारी भूमि की नेकमबन्दी करवाना चाहता हैं। विप्रार्थीगण बावजुद सुचना हाजिर नही हुए है। लिहाज प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया। और शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी सिणधरी	

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान– न्याय आपके द्वार 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र पायलां खूर्द)

पीठासीन अधिकारी–श्री अंजुम ताहिर सम्मा,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन स. 228/2017

प्रार्थीगण

1. गजेसिंह पुत्र पीरसिंह
2. राणसिंह पुत्र पीरसिंह
3. छगन कवंर पत्नि पीरसिंह

जाति राजपूत निवासी–
रामदेवरा, पायला खूर्द
तहसील सिणधरी व जिला
बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. सवाईराम पुत्र मूलाराम
2. खेतू पत्नि मूलाराम
3. मोटाराम पुत्र अमराराम
4. हड़ूमानराम पुत्र मलाराम
5. खेराजराम पुत्र उदाराम
6. बालाराम पुत्र भीयाराम
7. सरूपाराम पुत्र सालूराम
   जातियान जाट निवासी पायंला खुर्द
   तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
8. रूगाराम पुत्र सालूराम
9. तीलाराम पुत्र सालूराम
10. उर्जाराम पुत्र कोहलाराम
11. मेघाराम पुत्र मुकनाराम
12. विरधाराम पुत्र चैनाराम
13. तेजाराम पुत्र खरथाराम
14. तीजोंदेवी पत्नि तगाराम
    जातियान जाट निवासी मोतीसरा
    तहसील सिणधरी जिला बाडमेर
15. ताजाराम पुत्र पुरखाराम
16. केहराराम पुत्र पुरखाराम
    जातियान जाट निवासी निम्बली
    तहसील सिणधरी जिला बाडमेर
17. तहसीलदार सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

आदेश

दिनांक–11.6.2018

1.संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम रामदेवरा पटवार क्षेत्र पायलां खूर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 60 रकबा 205–10 बीघा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा का चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम रामदेवरा पटवार क्षेत्र पायलां खूर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 60 रकबा 205–10 बीघा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थीगण के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 03.02.2018 जारी किये गयें थे। तत्पश्चात विप्रार्थीगण को जरिये राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण की रजिस्टर्ड तलबी एवं सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी हाजिर नहीं हुए हैं। अतः विप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम रामदेवरा पटवार क्षेत्र पायलां खूर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 60 रकबा 205–10 बीघा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम रामदेवरा पटवार क्षेत्र पायलां खूर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 60 रकबा 205–10 बीघा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावें जावे।

4.हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,सलंग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि ग्राम रामदेवरा पटवार क्षेत्र पायलां खूर्द तहसील

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

सिणधरी की खेत खसरा संख्या 60 रकबा 205–10 बीघा भूमि के प्रार्थीगण रिकार्डेड सहखातेदार है,जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि संवत 2072 से 2075 से प्रमाणित होता है। तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है,विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील होने के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति नही होगीं। ऐसी सूरत मे उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति प्रतीत नही होती है।

5. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम रामदेवरा पटवार क्षेत्र पायलां खूर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 60 रकबा 205–10 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान की पूर्व में तहसीलदार सिणधरी कार्यवाही करावें। प्रार्थी नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क वहन करेगा। तत्पश्चात विवादित भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व मे जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

(अंजुम ताहिर समा)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 11/6/18 को लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner